भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1556

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पंजाब में सूक्ष्म सिंचाई

1556. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म सिंचाई में सहायता के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) से पंजाब सहित विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के माध्यम से अब तक राज्यवार कितना क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है,;

(ग) पंजाब सरकार की ओर से राज्य में सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए प्राप्त और उसके द्वारा कार्यान्वित परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार जल-कुशल सिंचाई तकनीकों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, विशेषकर पंजाब में इस योजना की सफलता के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): पंजाब राज्य सहित राज्यों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई फंड के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु लिए गए ऋणों और कवर किए गए क्षेत्र का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पंजाब सहित कुछ राज्यों में इस योजना का कम उपयोग देखा गया है। पीडीएमसी योजना के ऑपरेशनल दिशानिर्देशों में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए सब्सिडी की गणना हेतु 25% उच्चतर इकाई लागत और पंजाब सहित अन्य कम पहुँच वाले राज्यों के लिए 15% उच्चतर इकाई लागत का प्रावधान किया गया है ताकि योजना के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य पीडीएमसी के अंतर्गत एमआईएफ के माध्यम से टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान कर रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति/छोटे एवं सीमांत तथा महिलाओं के लिए 90% और अन्य किसानों के लिए 80% प्रभावी सब्सिडी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के खेतों और प्रगतिशील किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

राज्य सरकारों के लिए एमआईएफ के अंतर्गत उधार को अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए, भारत सरकार राज्यों को दिए गए ऋणों पर 2% की दर से ब्याज छूट प्रदान कर रही है, जिसकी पूर्ति प्रति बूंद अधिक फसल योजना से की जाती है।

मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए एमआईएफ के अंतर्गत ऋण लेने का अनुरोध करता है, जो एक प्रभावी जल कुशल प्रौद्योगिकी है।

लो.स.अता.प्र.सं.1556

अनुबंध

सूक्ष्म सिंचाई फंड (एमआईएफ) का राज्य-वार परियोजना-वार विवरण

(राशि रुपये करोड़ में) (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजना का प्रकार**	**स्वीकृत ऋण की राशि**	**वितरित ऋण की राशि**	**एमआई* के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र**	**स्थिति**
1	आंध्र प्रदेश	टॉप-अप सब्सिडी	616.13	616.13	1.83	पूरा हुआ
2	तमिलनाडु	टॉप-अप सब्सिडी	1357.93	1357.93	5.14	पूरा हुआ
3	हरियाणा	टॉप अप सब्सिडी और इनोवेटिव	97.74	95.78	0.413	जारी
		इनोवेटिव (अपशिष्ट उपचारित जल के लिए एमआई)	314.3	103.97		जारी
		इनोवेटिव (खेरी डिस्ट्रीब्यूटरी के कमांड क्षेत्र में एमआई)	252.08	112.066		जारी
		इनोवेटिव (केनल कमांड क्षेत्र में एमआई)	121.18	54.070		जारी
		उप-कुल	785.30	365.89	0.413	
4	गुजरात	टॉप-अप सब्सिडी	764.13	764.13	6.07	पूरा हुआ
5	पंजाब	टॉप-अप सब्सिडी और प्रदर्शन	149.65	32.13	0.11	जारी
6	उत्तराखंड	इनोवेटिव (चाय बागान)	4.807	0.57	0.0004	जारी
7	राजस्थान	टॉप अप सब्सिडी और इनोवेटिव (डार्क ब्लॉक कवरेज और क्षमता निर्माण)	740.79	667.45	7.34	जारी
8	कर्नाटक	टॉप-अप सब्सिडी	290.33	257.06	2.30	जारी
		कुल	4709.06	4061.31	23.2145	

* एमआई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एमआईएफ की टॉप-अप सब्सिडी परियोजना के माध्यम से पीडीएमसी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भी शामिल है

*****